संख्या -22/2016/952/63-व0उ0-2016-58(एच)/16

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2016

विषय:- जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-412/ह0क0-जने0पा0(सामान्य)यो0/2016-17, दिनांक 27.07.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना के सम्बन्ध में रू0 5.00 करोड़ (रूपया पॉच करोड` मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। विभिन्न परिक्षेत्रों के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि शासनादेश संख्या-767/63-व0उ0-2016-58(एच)/2016, दिनांक 10.06.2016 के निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राजकोष से धनराशि का आहरण लाभान्वित होने वाले बुनकरों का चयन, योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार पूर्ण हो जाने तथा तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी.एल.ए. खाते में नहीं रखा जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 5.00 (रूपया पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-108-बिजली करघा उद्योग-07-जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त् व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 952(1)/63-व0उ0-2016, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4

5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in